

प्रेषक,

एसओपीओ गोयल

मुख्य सचिव,

उओप्रओ शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उओप्रओ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

लखनऊ: दिनांक: 03 अक्टूबर, 2025

विषय:-शासन की प्राथमिकता एवं विकास कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण।

महोदय,

कृपया कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या 1/378769/2023/31-1099/37/2021 दिनांक 30 अगस्त, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा CM डैश बोर्ड पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शित Flagship Schemes की प्रत्येक माह जनपद स्तर पर बैठकें आहूत की जाती हैं। विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं/योजनाओं/परियोजनाओं को आमजन तक समयबद्ध गुणवत्तापरक एवं पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा कराए जा रहे कार्यों का बैठकों के माध्यम से अनुश्रवण के साथ-साथ भौतिक सत्यापन/स्थलीय निरीक्षण किया जाना भी आवश्यक है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि CM डैश बोर्ड पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शित Flagship Schemes की प्रत्येक माह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उच्च स्तर से निर्धारित किए गए कतिपय प्राथमिकता के विकास कार्यक्रमों, जिनकी सूची संलग्न है, की गम्भीरता से समीक्षा की जाए।

3- आपसे अपेक्षा है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त शासन की प्राथमिकताओं एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों का प्रत्येक माह आप द्वारा निरीक्षण निम्नानुसार किया जाए:-

- समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आदि विभागों द्वारा संचालित इकाइयों यथा महिला संरक्षण गृह, अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों हेतु छात्रावास, आश्रम पद्धति विद्यालय इत्यादि में से कतिपय इकाइयों का निरीक्षण प्रत्येक माह किया जाए।
- जनपद में ₹0 05 करोड़ एवं उससे अधिक लागत की प्रत्येक परियोजना हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाए। नामित नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह आवण्टित परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाए। जिलाधिकारी भी कतिपय परियोजनाओं का निरीक्षण प्रत्येक माह करें।
- बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों यथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, इण्टर कॉलेज, अटल आवासीय विद्यालय में से कतिपय विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह किया

जाए। उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों का भी भ्रमण किया जाए।

- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित केन्द्रों/चिकित्सालयों यथा उपकेन्द्रों/वैलनेस सैण्टरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला चिकित्सालयों में से कतिपय केन्द्रों/चिकित्सालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह किया जाए। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित मेडिकल कॉलेजों का भी भ्रमण किया जाए।
- ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, नगर विकास एवं नमामि गंगे आदि विभागों द्वारा संचालित योजनाओं यथा ग्राम सचिवालय, स्वच्छ भारत मिशन, सामुदायिक शौचालय, अमृत सरोवर, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास, जल जीवन मिशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इत्यादि में से कतिपय योजनाओं का निरीक्षण प्रत्येक माह किया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं/केन्द्रों का भी भ्रमण आवश्यकतानुसार किया जाए।
- खाद की उपलब्धता, बाढ़ व सूखे से निपटने, नदियों के पुनरुद्धार, पराली प्रबन्धन, निराश्रित गोवंश संरक्षण व धान गेहूँ क्रय आदि कार्यों हेतु भी सम्बन्धित इकाइयों व कार्य स्थलों का भ्रमण किया जाए।

4- महत्वपूर्ण बैठकों यथा जिला स्तरीय बैंकर्स समिति, उद्यमियों/व्यापारियों आदि के साथ उद्योग बन्धु की बैठक के अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह एवं कृषि उत्पादक संगठन (एफओपीओओ) आदि की भी नियमित रूप से जिलाधिकारी स्वयं बैठक करें।

5- जिलाधिकारी पर्व/त्यौहारों के मौके पर मेला स्थलों का पूर्व से निरीक्षण सुनिश्चित करें।

6- सभी जिलाधिकारी CM Flagship Schemes के साथ चिन्हित बिन्दुओं को प्राथमिकता में सम्मिलित कर समीक्षा करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। सभी जिलाधिकारी शासन की प्राथमिकता एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा एवं निरीक्षण प्रत्येक माह करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-चिन्हित प्राथमिकता कार्यक्रम।

भवदीय,

(एसओपी गोयल)

मुख्य सचिव।

संख्या/तद्विनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. माओ अध्यक्ष, राजस्व परिषद, 30प्रओ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्रओ शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, 30प्रओ शासन।

4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उOप्रO शासन।
5. समस्त नोडल अधिकारी, उOप्रO।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, माO मुख्यमंत्री, उOप्रO शासन।
7. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उOप्रO शासन।
8. समस्त मण्डलायुक्त/पुलिस उपमहानिरीक्षक (परिक्षेत्र), उOप्रO।
9. समस्त पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उOप्रO।

आज्ञा से,
Digitally signed by
ALOK KUMAR
(आलोक कुमार)
Date: 03-10-2025
18:31:08
प्रमुख सचिव।

संख्या/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त निजी सचिव, माO उपमुख्यमंत्री, माO मंत्री, माO राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं माO राज्य मंत्री, उOप्रO शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया माO मंत्री जी को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संलग्नक

उच्च स्तर से निर्धारित प्राथमिकता कार्यक्रम

क्र.सं.	प्राथमिकता कार्यक्रम
1	2
1	राजस्व वादों का निस्तारण
2	मिशन शक्ति की प्रगति
3	महिला स्वयं सहायता समूह
4	टी०बी० मुक्त प्रदेश अभियान की प्रगति
5	नदी पुनरुद्धार
6	जीरो पॉवर्टी अभियान की समीक्षा
7	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
8	वृद्धाश्रम, बाल आश्रय गृह, महिला संरक्षण गृह
9	आश्रम पद्धति विद्यालयों, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास, एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थिति
10	निराश्रित गौ आश्रय स्थल
11	पी०एम० सूर्य घर
12	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता एवं उपलब्ध सुविधाएं, प्रोजेक्ट अलंकार की प्रगति
13	चिकित्सालयों का निरीक्षण (प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला चिकित्सालय)
14	जल-जीवन मिशन (कार्य उपरान्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत)
15	प्रधानमंत्री आवास / मुख्यमंत्री आवास
16	अवैध खनन पर रोकथाम
17	ग्राम सचिवालय की प्रगति एवं समीक्षा
18	जनसमस्याओं का निस्तारण (दैनिक शिकायतें आई०जी०आर०एस० सी०एम०हेल्पलाइन, समाधान दिवस)
19	जनपद का सी०डी० रेशियो
20	जिला स्तरीय बैंकर समितियों की बैठक
21	व्यापार बन्धु एवं उद्योग बन्धु की बैठक
22	निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन
23	नगर निकायों में सड़क निर्माण की प्रगति
24	अमृत सरोवर योजना/ तालाब जीर्णोद्धार की प्रगति
25	ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति एवं कूड़ा प्रबन्धन के उपाय
26	मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की प्रगति
27	खाद/ बीज की उपलब्धता
28	पाँच करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा (नोडल अधिकारियों की तैनाती)
29	मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
30	पर्व एवं त्योहारों पर यथोचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना
31	समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएँ